सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/40 दिनांकः 13–02–2017

''कश्मीरी गेट की कानून व्यवस्था के सन्दर्भ में दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि शनिवार दिनांक 11–2–2017 को मै0 हाई–पॉवर इण्डस्ट्रीज, 3305, गली डोर वाली, राम बाजार मोरी गेट के मालिक श्री देवेंद्र मनचंदा जी एवं श्री राजकुमार मनचंदा जी की हत्या की गयी। इस दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही कश्मीरी गेट पुलिस के अलावा रैंज के ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, एसीपी भी मौके पर पहुँचे थे। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उनके नौकर सोनू को हिरासत में ले लिया।

मौके की नजाकत को देखते हुए कानून व्यवस्था का जिन पर दायित्व है उनको आज अपमा कार्यालय में आमंत्रित किया गया है। उत्तरो जिला पुलिस उपायुक्त श्री जतिन नरवाल जी एवं उनकी टीम के साथ कश्मीरी गेट थानाध्यक्ष श्री मंगेश गेदम जी को अपमा कार्यालय में आ रहें है। हम दिल्ली पुलिस से मांग कर रहें है कि दुकानों/प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करें। मार्किट मे सीसीटीवी कैमरे लगवायें एवं पुलिस की चौकसी बढायी जाए ताकि व्यापारी बिना किसी भय के अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सकें।

व्यापारी भाईयों, आप सभी से अनुरोध है कि दुकानों पर कर्मचारी रखते वक्त उससे उसका आधार कार्ड, उसका फोटो एवं उसकी पूर्ण जानकारी ल तथा पुलिस से उसका सत्यापन अवश्य करवायें। दुकान बन्द करने के पश्चात् ताल अवश्य चैक कर लेवें। नगदी के लेन–देन करते वक्त सर्तक रहें।

आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर आपकी संस्था अपमा''

(विष्णु भार्गव)
महासचिव